जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 जून, 2018

सा.का.नि. 199.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (यांत्रिक), भर्ती नियम 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (यांत्रिक) समूह 'ख' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (यांत्रिक), समूह 'ख' पद भर्ती नियम 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को उस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (यांत्रिक)	11* (2018) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवीय	स्तर 7	चयन	30 वर्ष से अनअधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो

					असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक/वैद्युत/खनन/सिविल इंजीनीयरिंग/पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में डिग्री ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक/वैद्युत/बर्माना/खनन/ सिविल इंजीनीयरिंग/पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा के साथ जल कूप बर्मानि/में मशीनरी और उपस्कर का निर्माण और प्रचालन/अनुरक्षण में सरकारी/अर्धसरकारी/स्वायत्त संगठन/लिमिटेड कंपनी में पाँच वर्ष का अनुभव । **टिप्पण 1** - अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएँ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** – अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनूसूचित जतियों और अनूसूचित जनजतियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केंद्र सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय** : मान्यता प्राप्त संस्थान या संगठन से भूमिगत जल विश्लेषण और भूमिगत जल रसायन में दो वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा और 50 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा	**प्रोन्नति:** केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ऐसे कनिष्ठ इंजीनियर जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की है और राजीव गांधी राष्ट्रीय भूमिगत जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर से स्तर-3 सामग्री प्रबंधन, भंडार रख-रखाव और भंडार लेखांकन में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है । **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है , प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से जो भी कम हो और उन्होने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<u>**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:**</u> 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष 2. निदेशक/उप सचिव (केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के साथ सम्बद्ध), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय —सदस्य 3. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य <u>**समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:**</u> 1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —अध्यक्ष 2. निदेशक (प्रशासन), केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य 3. अधीक्षक इंजीनियर, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. 21/16/2016-सीजीडबल्यूबी]

अनिल कुमार वाही, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 20th June, 2018

G.S.R. 199.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant (Mechanical) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Senior Technical Assistant (Mechanical)** Group 'B' post in the Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Senior Technical Assistant(Mechanical), Group 'B' post Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. **Number of post, classification and Level in the Pay Matrix.** - The number of the said post, its classification and Level in the Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**- No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Technical Assistant (Mechanical)	11*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-7	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir

					State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Essential: Degree in Mechanical/ Electrical/Drilling/ Mining/ Civil Engineering/ Petroleum Technology from a recognised University or Institution; OR Diploma in Mechanical/ Electrical/ Drilling/ Mining/ Civil Engineering/ Petroleum Technology from a recognised University or institution with five years experience in water well drilling construction and operation / maintenance of drilling machinery and equipment from Government/ Semi-Government/ Autonomous Organisation/ Limited Company. **Note 1**: Qualifications are regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : The qualifications regarding experience is relexable at the discretion of Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.	Age: Not applicable. Educational Qualification: Not applicable.	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption grade from which promotion or deputation / absorption is to be made.
(10)	(11)
50% by promotion and 50% by direct recruitment.	**Promotion:** Junior Engineer in Central Ground Water Board in level-6 (Rs.35,400) in the pay matrix with five years regular service in the grade. **Training:** Two weeks training in Material handling storekeeping and stores accounting, Level-3 from Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute, Raipur.

	Note: Where juniors who have completed their qualifying eligibility service are being considered for promotion their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman 2. Director/Deputy Secretary (Concerned with CGWB), Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation – Member 3. Director (Administration), Central Ground Water Board –Member **Group 'B' Departmental Confirmation Committee consisting of:-** 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman 2. Director (Administration), Central Ground Water Board –Member 3. Superintending Engineer, Central Ground Water Board – Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[F.No.21/16/2016-CGWB]

ANIL KUMAR WAHI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.07.06 11:59:14 +05'30'